Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर ? 2, डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी ।? (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Hon. Chairperson Madam, on behalf of my colleague, Shri Shivraj Singh Chouhan, I rise to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Rural Development for the year 2025-2026. ? (*Interruptions*)

[Placed in Library, See No. LT 2060/18/25]

शिक्षा मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) वर्ष 2025-2026 के लिए शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) वर्ष 2025-2026 के लिए शिक्षा मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

[Placed in Library, See No. LT 2061/18/25]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (KUMARI SHOBHA KARANDLAJE): Madam, on behalf of my senior colleague, Dr. Mansukh Mandaviya, I rise to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Labour and Employment for the year 2025-2026.

[Placed in Library, See No. LT 2062/18/25]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson Madam, with your kind permission, on behalf of Shri Rao Inderjit Singh, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy of the Collection of Statistics Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.761(E) in Gazette of India dated 11th December, 2024 under sub-section (3) of Section 33 of the Collection of Statistics Act, 2008.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2063/18/25]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Planning for the year 2025-2026.

(ii) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Planning for the year 2025-2026.

(iii) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Statistics and Programme Implementation for the year 2025-2026.

[Placed in Library, See No. LT 2064/18/25]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Statistical Institute, Kolkata, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Statistical Institute, Kolkata, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Statistical Institute, Kolkata, for the year 2023-2024.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 2065/18/25]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER?S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Madam Chairperson, with your kind permission, I rise to lay on the Table a copy of each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Science and Technology for the year 2025-2026.

(2) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Science and Technology for the year 2025-2026.

(3) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Earth Sciences for the year 2025- 2026.

(4) Detailed Demands for Grants of the Department of Space for the year 2025-2026.

(5) Detailed Demands for Grants of the Department of Atomic Energy for the year 2025-2026.

[Placed in Library, See No. LT 2066/18/25]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson Madam, with your kind permission, I rise to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Parliamentary Affairs for the year 2025-2026.

[Placed in Library, See No. LT 2067/18/25]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI JAYANT CHAUDHARY): Hon. Chairperson Madam, with your kind permission, I rise to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for the year 2025-2026.

[Placed in Library, See No. LT 2068/18/25]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (फैक्टरों का पंजीकरण और प्राप्य राशियों के समनुदेशन का पंजीकरण) विनियम, 2024, जो दिनांक 19 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन /2024/012 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए-पीएमटीएस/9/2023-कीमती धातुएं, जो दिनांक 9 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो बुलियन एक्सचेंज और बुलियन कॉर्पोरेशन के नवीनीकरण के बारे में है।

(तीन) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/इंडिया आईसीसी/नवीनीकरण/2024-25, जो दिनांक 9 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो इंडिया आईसीसी के नवीनीकरण के बारे में है।

(चार) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/इंडिया आईएनएक्स/नवीनीकरण/ 2024-25, जो दिनांक 9 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो इंडिया आईएनएक्स के नवीनीकरण के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 2069/18/25]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 5167(अ) जो दिनांक 29 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रैप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 294(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रैप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) दिनांक 27 नवम्बर, 2024 की एफ.संख्या 461/07/2023-सीयूएस.V (2024 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 07) जो सिक्किम में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) जोखिम पर प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क के भुगतान से तदर्थ छूट के अनुरोध के बारे में है।

(चार) का.आ. 5657(अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रैप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 5399(अ) जो दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रैप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2070/18/25]

(4) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 760(अ) जो दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके व्यवसाय का मुख्य स्थान पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में है, के लिए अक्तूबर, 2024

माह के लिए जीएसटीआर-3बी फॉर्म प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 5392(अ) जो दिनांक 13 दिसम्बर , 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय डीजीजीआई के अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिसों के लिए साझा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की नियुक्ति करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 22(अ) जो दिनांक 10 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिसम्बर, 2024 माह और अक्तूबर से दिसम्बर, 2024 की तिमाही, जैसा भी मामला हो, के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 23(अ) जो दिनांक 10 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिसम्बर, 2024 माह और अक्तूबर से दिसम्बर, 2024 की तिमाही, जैसा भी मामला हो, के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 24(अ) जो दिनांक 10 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिसम्बर, 2024 माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-5 प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 25(अ) जो दिनांक 10 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिसम्बर, 2024 माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-6 प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2071/18/25]

(सात) सा.का.नि. 26(अ) जो दिनांक 10 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिसम्बर, 2024 माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-7 प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 27(अ) जो दिनांक 10 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिसम्बर, 2024 माह के लिए फॉर्म

जीएसटीआर-8 प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 23 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि.72(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ 419(अ) जो दिनांक 23 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो विलंब शुल्क में छूट के लिए केंद्रीय कर अधिसूचना के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 50(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 के सा.का.नि. 673(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 53(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को हुई अपनी 55वीं बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार माल की आपूर्ति के संबंध में दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 2/2017 ? केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 56(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को हुई अपनी 55वीं बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में दिनांक 18.10.2017 की अधिसूचना संख्या 39/2017 ? केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 59(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को हुई अपनी 55वीं बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में दिनांक 25.01.2018 की अधिसूचना संख्या 8/2018?केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2072/18/25]

(पंद्रह) सा.का.नि. 38(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को हुई अपनी 55वीं बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार सेवाओं की आपूर्ति पर

जीएसटी दर के संबंध में दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017?केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 41(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को हुई अपनी 55वीं बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी से छूट के संबंध में दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 12/2017?केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 44(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को हुई अपनी 55वीं बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार सेवाओं की आपूर्ति, जिन पर व्युत्क्रम प्रभार आधार पर जीएसटी संदय होगा, के संबंध में दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 13/2017?केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 47(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को हुई अपनी 55वीं बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से की गई सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 17/2017?केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि.63(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आईएईए के निरीक्षण दल द्वारा उपकरणों और उपभोज्य नमूनों के आयात पर मूल सीमा शुल्क और आईजीएसटी से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि.64(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (एलआरएसएएम) के लिए प्रणालियों, उप-प्रणालियों, उपकरणों, पुर्जों, उप-पुर्जों, औजारों, परीक्षण उपकरणों, सॉफ्टवेयर को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2073/18/25]

(5) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 774(अ) जो दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्ष की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यात किए गए 'टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर' पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 784(अ) जो दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्ष की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया आरपी, वियतनाम और ताइवान में उद्भूत या वहां से निर्यात किए गए 'डिजीटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स' पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 782(अ) जो दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.02.2025 को या उससे पूर्व जारी किए गए वहन पत्र पर पीली मटर (एचएस 0713 10 10) के आयात पर छूट की निर्दिष्ट शर्त का विस्तार करने के लिए अधिसूचना संख्या 64/2023-सीमा शुल्क में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.788(अ) जो दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के अंतर्गत टैरिफ रियायतों के चौथे चरण को प्रभावी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2074/18/25]

(6) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर)अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत सा.का.नि. 62(अ), जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्दिष्ट शर्तों, उसमें उल्लिखित, के अध्यधीन निर्यात के लिए रजिस्ट्रीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा रजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ता को कर योग्य माल की आपूर्ति पर 0.1% की प्रतिकर उपकर दर निर्दिष्ट करना है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2075/18/25]

(7) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.51(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को आयोजित अपनी 55वीं बैठक में यथासंस्तुत सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.54(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को आयोजित अपनी 55वीं बैठक में यथासंस्तुत वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 2/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.57(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को आयोजित अपनी 55वीं बैठक में यथासंस्तुत सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में दिनांक 18.10.2017 की अधिसूचना संख्या 39/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.60(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को आयोजित अपनी 55वीं बैठक में यथासंस्तुत सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में दिनांक 25.01.2018 की अधिसूचना संख्या 8/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.40(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को आयोजित अपनी 55वीं बैठक में यथासंस्तुत सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दर के संबंध में दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.43(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को आयोजित अपनी 55वीं बैठक में यथासंस्तुत सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी से छूट के संबंध में दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.46(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को आयोजित अपनी 55वीं बैठक में यथासंस्तुत सेवाओं की आपूर्ति, जिन पर रिवर्स चार्ज आधार पर जीएसटी का भुगतान किया जाएगा, के संबंध में दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 13/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि.49(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को आयोजित अपनी 55वीं बैठक में यथासंस्तुत सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 17/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2076/18/25]

(8) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.39(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को आयोजित अपनी 55वीं बैठक में यथासंस्तुत सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दर के संबंध में दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.52(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को आयोजित आपकी 55वीं बैठक में यथासंस्तुत वस्तुओं के संबंध में दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.55(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को आयोजित अपनी 55वीं बैठक में यथासंस्तुत वस्तुओं के संबंध में दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 2/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.58(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को आयोजित अपनी 55वीं बैठक में यथासंस्तुत सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में दिनांक 18.10.2017 की अधिसूचना संख्या 40/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.61(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को आयोजित अपनी 55वीं बैठक में यथासंस्तुत सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में दिनांक 25.01.2018 की अधिसूचना संख्या 9/2018-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.42(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को आयोजित अपनी 55वीं बैठक में यथासंस्तुत सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दर से छूट के संबंध में दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 9/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.45(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को आयोजित अपनी 55वीं बैठक में यथासंस्तुत सेवाओं की आपूर्ति, जिन पर रिवर्स चार्ज आधार पर जीएसटी का भुगतान किया जाएगा, के संबंध में दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.48(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा 21.12.2024 को आयोजित अपनी 55वीं बैठक में यथासंस्तुत इलेक्ट्रोनिक कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 14/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2077/18/25]

(9) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग एक और दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2078/18/25]

(10) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 2079/18/25]

(11) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2025-2026 के लिए वित्त मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2025-2026 के लिए वित्त मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(तीन) वर्ष 2025-2026 के लिए संसद, राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति सचिवालयों की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति।

[Placed in Library, See No. LT 2080/18/25]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी शोभा कारान्दलाजे) : सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) (एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2081/18/25]

***m10 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR):** Hon. Chairperson Madam, I rise to lay on the Table a copy of Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways for the year 2025-2026.

[Placed in Library, See No. LT 2082/18/25]

***m11 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SURESH GOPI):** Madam Chairperson, I rise to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Tourism for the year 2025- 2026.

(2) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Tourism for the year 2025-2026.

[Placed in Library, See No. LT 2083/18/25]

***m12 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRIMATI RAKSHA NIKHIL KHADSE):** Madam Chairperson, I rise to lay on the Table a copy of Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Youth Affairs and Sports for the year 2025-2026.

[Placed in Library, See No. LT 2084/18/25]

***m13 कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) :** सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 के अंतर्गत कंपनी (लेखा) दूसरा संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.794(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2085/18/25]

(2) (एक) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2086/18/25]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI PABITRA MARGHERITA): Madam Chairperson, I rise to lay on the Table a copy of Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Textiles for the year 2025-2026.

[Placed in Library, See No. LT 2087/18/25]

12.05 hrs